रजिस्ट्री सं. डी. (डी. एल.)-72 REGISTERED No. D. (DL)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 466] नई दिल्ली, बुधवार, दिसम्बर 5, 1984/अग्रहायण 14, 1906
No. 466] NEW DELHI, WEDNESDAY, DEC. 5, 1984/AGRAHAYANA 14, 1906

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 दिसम्बर, 1984

सं. 220/84-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क

सा. का. नि. 810(अ) :—केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियम, 1944 के 8 के उपनियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की पहली अनुसूची के मद सं. 15क के उप मद (2) के अन्तर्गत आने वाली और बहिर्वेधन प्रक्रिया से भिन्न

प्रक्रिया द्वारा उत्पादित 0.25 मिली मीटर से अनधिक मोटाई का पॉलिविनाइल क्लोराइड फिल्मों तथा शीटों को उक्त पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट दरों पर, उक्त अधिनियम के अधीन उन पर उद्ग्रहणीय उतने उत्पाद शुल्क से छूट देती है जितना मूल्य के बीस प्रतिशत की दर से संगणित रकम से अधिक है ।

[फा. सं. 93/2/84-सी एक्स-3]

सी. माथुर, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 5th December, 1984

NO. 220|84-CENTRAL EXCISES

G.S.R. 810(E).—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, the Central Government hereby exempts polyvinyl chloride films and sheets of thickness not exceeding 0.25 millimetres, falling under sub-item (2) of Item No. 15A of the First Schedule to the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944) and produced other than by extrusion process, from so much of the duty of excise leviable thereon under the said Act at the rates specified in the said First Schedule as is in excess of the amount calculated at the rate of twenty per cent ad-valorem.

[F. No. 93|2|84-CX.3]

C. MATHUR, Under Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1984